## SOUVENIR

राष्ट्रीय सेमीनार

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता अभिवृद्धिः चुनौतियाँ एवं समाधान

National Seminar
Quality Improvement in Higher Education:
Challenges & Remedies

27 January, 2018



Sponsored by Department of Higher Education (U.P.)



Organized by

Government Degree College Pihani, Hardoi (U.P.)

Website: www.gdcpihani.org • email: principal@gdcpihani.org

Contact: 05853-262065

संरचनात्मक ढाँचे के रूप मे कुछ अच्छा बनाया तो ढांचागत सुविधाओं के नाम पर शिक्षा इतनी महँगी डिग्री से पूर्व ही लोन भी सुलभ हो गया तो शिष्य—माता पिता—परिवार कर्जे मे भी डूब गया। महँगी से इंगी शिक्षा के बाद उसके अनुरूप नौकरी मिल सकेगी या नहीं ईश्वर जाने।

## कानपुर वि. वि. से सम्बद्ध कालेजों की शिक्षा का वर्तमान स्वरूप

डॉ.नीतू सिंह तोमर,

एम.ए.,पी-एच.डी. समाजशास्त्र, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली-१९०००२

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित जनसामान्य के कल्याण के लिए शैक्षिक योजनाओं के ज्ययन उपरान्त मैंने उ.प्र. के जनपद फर्रुखाबाद के दिरद्व व्यक्तियों की शैक्षिक समस्याओं के अन्तर्गत जनपुर विष्वविद्यालय से सम्बद्ध 36 डिग्री कालेजों सिहत केन्द्रीय, राजकीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उस्तूरबा, मूकबिधर, आश्रम पद्धित, निर्जः, एडिड, अनएडिड विद्यालयों, प्रौद्धिक्षा—आँगनबाड़ी केन्द्रों, पालीटेक्निक, बई.टी.आई. पब्लिक स्कूलों मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों, ईश्वरीय विश्वविद्यालयों में बाकर शिक्षण एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था देखी तथा अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं ग्राम—नगर के शिक्षित—अशिक्षित च्वों, किशोरों, युवाओं, प्रौढों, वृद्धों से वार्ता कर उनकी शिक्षा और निरक्षरता की वास्तविक स्थित सिहत कि समस्याओं का मूल्यांकन किया। जिसके परिणामस्वरूप 90—95% कृषक—मजदूर निरक्षर मिले। बन्नीण क्षेत्रों की लगभग 85—95% स्त्रियाँ, 80—90% पुरुष, शहरी क्षेत्रों में लगभग 80—90% स्त्रियाँ, 0—80% पुरुष अशिक्षित और निरक्षर मिले। दिरद्व बस्तियों में यह स्थिति और भी भयावह मिली जहाँ की शिक्षा और निरक्षता 95—100% बनी हुई है। निम्न से उच्च शिक्षत अधिकांश छात्रों, किशोरों, युवाओं को प्रौदय एवं सूर्यास्त की दिशाओं एवं अक्षरों का ज्ञान नहीं है। अधिकांश नहीं जानते हैं कि वे किस ज्यद—प्रदेश के निवासी हैं। लिखना—पढ़ना उनके वश की बात नहीं। निरक्षरता और अज्ञानता उनके पतन नियत बन चुकी है।

फर्फखाबाद जनपद में संचालित छत्रपति शाहूजी महाराज वि. वि. कानपुर से सम्बद्ध 1 राजकीय, 7 डिड एवं 67 स्विवत्तपोषी अधिकांश कालेजों में छात्रों को प्रवेश तो दिया जाता है परन्तु शिक्षण—व्याख्यान हैं। होता है। इन कालेजों में परीक्षाकाल में छात्र उपस्थित रहते है और इनको बोल—बोलकर या पुस्तकों नकल करायी जाती है। विश्वविद्यालय के उड़नदस्ते इन कालेजों से रु. 20000—25000 तक सही रिपोर्ट गाने के नाम पर वसूल करते हैं। स्विवत्तपोषी कालेज के प्राचार्य—प्राध्यापकों के साक्षात्कार लेने वाली मिति के लोग विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में बैठकर प्रत्येक सदस्य कालेज प्रबन्धकों से 15000 रुपयों से लिफाफा लेता है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक चौकाने वाली बात यह है कि विश्वविद्यालय परीक्षा में हने के लिए प्रत्येक छात्र—छात्रा की उपस्थित 75% अनिवार्य होने के बावजूद तथा कालेज—कक्षों एवं नकालयों में कैमरे लगे होने के बावजूद छात्र—छात्राएँ अनुपस्थित रहते हैं और उनकी उपस्थिति 75% होकर परीक्षा में शामिल कर बिना शिक्षण नकल परीक्षा की डिग्री बाँटी जा रही हैं, जो व्यक्ति—समाज लिए व्यर्थ सिद्ध हो रही है।

कालेजों की अधिकांश प्रबन्ध समितियों कें पदाधिकारी एवं सदस्य स्थानीय समुदायों के जन—साधारण. साविद्, समाजसेवी, अभिभावक नहीं हैं और न ही निर्धारित प्रशासन योजना के मानकानुरूप है। अमानक स्थतंत्रों के पदाधिकारी सगे—सम्बन्धी एवं आपसी हितबद्व हैं। यह अपने निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शिक्षा को दूषित कर रहे हैं। सोसाइटी एक्ट-1856, उ.प्र.विश्वविद्यालय एक्ट-उपेक्षा कर स्वःलाभ हेतु परिजनों एवं सगे-सम्बन्धी आपसी हितबहों के कर तथा कालेजों में शिक्षण कार्य कराए बिना छात्र-छात्राओं के वसूली व धन उगाही एवं व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं। बिक्री के आधार पर संचालित हो रहे हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था लाइब्रेरी आदि अमानक हैं तथा छात्र-छात्राओं एवं बेरोजगार के

नहीं होता है। स्विवत्तणेषी कालेजों की मान्यता संबन्धी प्रवावित्यों में अनुमादित होते हैं वह कभी कालेजों में नहीं आते हैं। उनमें अधिकाश एस हैं शिक्षण की सदैव उपेक्षा की और अब कहते हैं कि मुझसे जूनियर कार्यवाहक—प्राचार्य नुझ करने का निर्देश कैसे दे सकता है? कहकर क्लास शिक्षण कार्य कभी नहीं करते हैं। विश्व अनुमोदित अधिकांश प्राचार्य एवं शिक्षकों ने अपने प्रमाणपत्रों को कालेज मान्यता—अनुमोदन हु देकर रु. 20,000 से 25000 वार्षिक लिए जा रहे हैं और कुछ शिक्षकों को नियमित कालेज 6000—10000 मासिक भुगतान दिया जा रहा है। शासन द्वारा निर्धारित वेतन के फर्जीबाइ मुगतान के बैंक खातों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ जारी हैं। जिसके कारण पात्र व्यक्ति वंचित हो रहे हैं। स्विवत्तपोशी कालेजों में अर्ह शिक्षक को मानकीय वेतन नहीं दिया जाता है के लोग अर्ह शिक्षकों को वेतन—भत्ते देने की कागजी खानापूर्ति तो करते हैं परन्तु मानकयुक्त नहीं देते हैं। शिक्षक 'ट्यूशनबाजी' में संलिप्त हैं। शिक्षक उद्देश्य की पूर्ति की जगह परिजनों आपसी हितबद्धों के स्वलाभ उद्देश्यों से मानक विरुद्ध निर्मित सिमितियों एवं उनकी प्रबन्ध संबद्धताएँ पूर्णतया अवैध है।

कालेजों की शिक्षण व्यवस्था के अवलोकन एवं जनसम्पर्क के आधार पर प्राप्त तथ्यों चे हैं कि, डिग्री कालेजों की प्रबन्ध समितियों एवं प्रबन्धतन्त्र कालेज सम्बद्धता—मान्यता पत्रावली में अमानक भ्रामक तथ्यों—प्रपत्रों एवं शपथ—पत्रों को जोड़—तोड़ कर और स्वयं मनमाने ढंग से स्थापिल कर फर्जीबाड़ा कर रहे हैं तथा शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय के लोगों से धन—लालच के प्रभाव से मनचाहे साक्षात्कार नियुक्ति जाँच के फर्जी प्रपत्र बनाकर विश्वविद्यालय पत्राविलयों में शामिल करा रहे हैं तथा शिक्षा विकास निधियाँ हडपकर निजी उपभोग तथा चरागाहों पर जबरदस्त कब्जा कर प्रबन्धतन्त्रों के लोगों एवं उनके परिवारीजनों द्वारा शिक्षा, छात्र एवं समाज का हित बुरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है।

मानक विहीन शिक्षा ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। शिक्षक, शिक्षण, प्रेक्टीकल्ल प्राचार्य और कर्मचारियों का अभाव एवं अमानकता से शिक्षा व उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। कि का संचालन भारी वित्तीय लाभ एवं अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। नकल, द्यूहर डिग्री—उपाधि वितरण व्यवसायों से शिक्षा प्रदूषित हो रही है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियन्त्र प्रशासन—शिक्षा प्रशासन की जबाबदेही तथा जनसाधारण के हितों की सुरक्षा हेतु हिन्न प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है।

